

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 2417.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,17,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 2 से 4

शासकीय महाविद्यालयों में सेटेलार्इट बेस्ड क्लासरूम की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 300 का प्रतीक अग्रिम लिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-2210

मद क्रमांक 5 से 6

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु ₹ 661.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,61,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में स्थापित विद्युत सब-स्टेशन को Double Feeder से जोड़ने हेतु बिजली एवं जल प्रभार मद में ₹ 58.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 से 9

छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि (संजीवनी कोष) हेतु ₹ 600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 10 से 11 (7610)

स्वच्छ भारत अभियान योजना अंतर्गत ₹ 4364.13 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 43,64,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 12 से 13 (7807)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना अंतर्गत ₹ 19200.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,92,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 14 से 18

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अंतर्गत ₹ 367.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,67,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 19 से 20

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹ 23.69 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 23,69,888 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 21 से 22 (7490)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत ₹ 2280.23 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,80,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 23 से 24 (6728)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ₹ 1020.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,20,00,000 के अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 25

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी अंतर्गत ₹ 3422.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 34,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 26

औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु ₹ 400.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 27

गिरौधपुरी धाम में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 50.00 लाख अग्रिम लिया गया है ।

अतः अकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 28

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 181.97 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,81,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 29

कृषि पम्पों के ऊर्जाकरण हेतु ₹ 720.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 30

सौर ऊर्जा के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 120.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

अविद्युतीकृत ग्रामीण मजराटोला/बसाहटों के सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण हेतु ₹ 480.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

सौर सुजला योजना के लिए नाबार्ड मद में सोलर पम्प हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 485.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 33 (7475)

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत जिला- रायगढ़ विकाखण्ड- सारंगढ़ की खजरी से टाड़ीपार सड़क लम्बाई 180 किमी. (लागत ₹ 126.51 लाख) के निर्माण कार्य हेतु ₹ 25.00 लाख व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद कर्मांक 34

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण हेतु राशि ₹ 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।